

प्रेषक,

अध्यक्ष /

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

नीलामी समिति,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

उ० प्र० लखनऊ।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 20.05.2025 के अनुपालन में संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवे का विवरण तथा उक्त का मूल्यांकन निम्नवत है—

संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवा तथा उक्त का मूल्यांकन

क्रम सं०	निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण	संख्या	ईकाई	दर	कुल मूल्यांकन
2.	Bricks	1293	Nos	3.24	4189.60
3.	Bricks Bats	5.62	Cum	660.00	3710.60
4.	Steel	71.72	Kg	22.00	1577.93
कुल योग					9478.13

उपरोक्त सभी सामग्रियों की नीलामी जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर परिसर में नजारात अनुभाग के ठीक सामने नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 15.07.2025 को समय सायं 4:30 बजे की जाएगी। प्रकाशन कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई भी अनुदान उपलब्ध नहीं होती है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासकीय हित में आप उक्त नीलामी का प्रकाशन जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशन की सूचना एवं एक एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10.07.2025 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक :- 05.07.2025


(आशीष वर्मा)

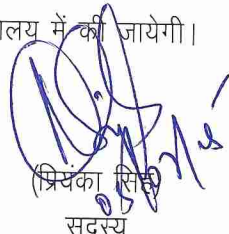
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,

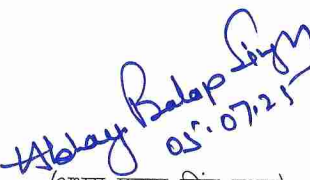
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर
नीलामी की शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर परिसर में संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवे की नीलामी निम्न शर्तों के आधार पर की जायेगी-

1. नीलामी दिनांक 25.07.2025 को शाम 4:30 बजे जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर में कार्यालय नजारत के सामने गठित समिति द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व जमानत धनराशि मु0 रू0 2000/- जमा करनी होगी। यह धनराशि नीलामी की कार्यवाही से पूर्व प्रातः 10 बजे से 01 बजे तक कार्यालय नजारत में केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करनी होगी, इसके पश्चात कोई भी धनराशि जमा नहीं की जायेगी। यह धनराशि नीलामी समाप्त होने के उपरांत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर के बोलीदाताओं की धनराशि को रोकते हुए शेष बोली दाताओं की धनराशि तत्काली वापस कर दी जायेगी। नीलामी की न्यूनतम धनराशि 10000.00 निर्धारित की जाती है।
3. नीलामी समिति/जनपद न्यायाधीश को यह अधिकारी होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अंतिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
4. नीलामी हेतु संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवे की नीलामी से पूर्व देखा जा सकता है।
5. जिस बोलीदाता की बोली अन्तिम रूप से स्वीकार की जायेगी, उस बोलीदाता को नीलामी की धनराशि की सम्पूर्ण रकम नकद तुरन्त जमा करनी होगी। यदि अन्तिम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा धनराशि उसी समय जमा नहीं की गयी तो उनकी बोली निरस्त समझी जायेगी तथा उसके द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि मु0 रू0 2000/- सरकारी कोष में जम्मा कर ली जायेगी।
6. संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवे की नीलामी की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी, तब तक संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवा न्यायालय परिसर, शाहजहांपुर में ही रहेगा, क्रेता अपने संतोष के लिए देखरेख कर सकता है, बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. क्रेता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने व नीलामी अनुमोदन के बाद तीन दिन के अन्दर संवेदनशील साक्षी साक्ष्य केंद्र के रूप में अस्थायी व्यवस्था हेतु पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान पर बने पुराने जर्जर गैराज के मलवे को उठा लेना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद होता है, तो जनपद न्यायाधीश शाहजहांपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
9. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में की जायेगी।


(प्रियंका सिंह)
सदस्य
नीलामी समिति
सिविल जज (सी0डी0)
जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर।


(अमय प्रताप सिंह प्रथम)
सदस्य
नीलामी समिति
अपर जिला जज तृतीय
जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर।


(आशीष वर्मा)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
अपर जिला जज प्रथम
जनपद न्यायालय, शाहजहांपुर।

सूचनार्थ हेतु-

1. जनपद न्यायालय, नोटिस बोर्ड, शाहजहाँपुर। ✓
2. कार्यालय नजारत, जजी, शाहजहाँपुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर। ✓
4. नगर पालिका, शाहजहाँपुर। ✓
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाहजहाँपुर।
6. रोडवेज बस स्टैण्ड, शाहजहाँपुर। ✓
7. पी०डब्लू०डी०, शाहजहाँपुर।
7. रेलवे साइकिल स्टैण्ड, शाहजहाँपुर।
8. अन्य सार्वजनिक स्थान, जिला पंचायत अध्यक्ष।
9. कम्प्यूटर कक्ष में जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रति।

11/7/25

जीमान जी,

हल्क से खान है कि आज व तारीख 11-7-2025 को जनपद न्यायालय, जिलाधिकारी, नगरपालिका शाहजहाँपुर भारतीय स्टेट बैंक शाहजहाँपुर, रोडवेज बस स्टैण्ड, शाहजहाँपुर, रेलवे साइकिल स्टैण्ड शाहजहाँपुर, अन्य सार्वजनिक स्थान, जिला पंचायत अध्यक्ष के उक्त स्थानों पर जा-जा के एक-एक प्रति नोटिस सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया।

शशांक मिश्र
तमिलकला
11-7-2025

ASingh
Deputy Nazir
Civil Court
Shahjahanpur
11-7-2025